इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2018—चैत्र 7, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018

क्र. 5407-84-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 मार्च 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१८

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक—३) अधिनियम, २०१८

[दिनांक २७ मार्च, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २८ मार्च, 2018 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २००६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कितपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१८ है.

३१ मार्च, २००६ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्ययकी पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. ३७,५८,१४,५१८ का

२. मध्यप्रदेश राज्य के संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये सैंतीस करोड़ अठावन लाख चौदह हजार पांच सौ अठारह होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बावत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

दिया जाना. विनियोग.

संक्षिप्त नाम.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची (धारा २ और ३ देखिये)

(१) (२) अनदान का सेवायें और प्रयोजन		(३) आधिक्य				
अनुदान का सेवाये और प्रयोजन क्रमांक		मतदत्त	भारित	योग		
		रुपये	रुपये	रुपये		
०६. वित्त विभाग	पूंजीगत	२६,९६,२६,९०९	•	२६,९६,२६,९०९		
२४. लोक निर्माण विभाग (सड़क तथा पुल)	राजस्व	<i>૭,७५,०६,३९</i> ४	o ,	૭,७५,०६,३९४		
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	पूंजीगत	२,२६,५८,१०५	o	२,२६,५८,१०५		
६७. लोक निर्माण भवन	राजस्व	<i>५९,</i> ४९,८७६	0	ં ५९,४९,८७६		
२१. आवास एवं पर्यावरण	पूंजीगत	o	२६,५४६	२६,५४६		
४५. जल संसाधन	पूंजीगत	· •	४६,६८८	४६,६८८		
योग	30	३७,५७,४१,९८४	७३,२३४	३७,५८,१४,५१८		

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018

क्र. -84-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग क्रमांक 3 अधिनियम, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 of 2018

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) ACT, 2018

[Received the assent of the Governor on the 27th March, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th March, 2018].

An Act to provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2006 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-Ninth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2018.

Short title.

2. From and oct of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Thirty seven crores fifty eight lakhs fourteen thousands five hundred eighteen rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the Amount. Spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2006 in excess of the amounts granted for those services and that year.

Issue of Rs. 37,58,14,518 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2006.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act Shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 2006.

Appropriation.

THE SCHEDULE (See Section 2 and 3)

(1) No of vote	(2) Service & purpose	(3) Excess		
	Service & purpose	Voted	Charged	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
06.	Finance	26,96,26,909	0	26,96,26,909
24.	Public works road and bridge	7,75,06,394	0	7,75,06,394
39.	Food, Civil Supplies and consumer protection	2,26,58,105	0	2,26,58,105
67.	Public works building	59,49,876		59,49,876
21.	Housing and Environment			
45. Minor Irrigation w		0	26,546	26,546
	Minor Irrigation works	0	46,688	46,688
	Tota	al 37,57,41,984	73,234	37,58,14,518